



2026:AHC:48128

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6366/2026

जय शंकर प्रजापति

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विजेंद्र कुमार त्रिपाठी, लोकेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना, प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल), प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 21.03.2018 को बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 2-कलेक्टर, वाराणसी द्वारा दिनांक 10.12.2025 को भी खारिज कर दिया गया था, इस लिए तर्मान रिट याचिका लायी गयी है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 21.05.2018 का आदेश विधि की दृष्टि में पूर्णतः दोषपूर्ण है। चूँकि उपरोक्त आदेश एक अकारण आदेश (नॉन स्पीकिंग ऑर्डर) है, इसलिए एक अपील दायर की गई थी, जिसे बिना कोई सबल कारण (कोर्जेंट रीजन) बताए ही खारिज कर दिया गया, यद्यपि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन आवेदन का निर्णय करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के तहत एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उपरोक्त नियमों की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा **रिशिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिपोर्टेड इन 2023 (1) ए.डी.जे. 154** के मामले में की गई थी।

4. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश पारित करते समय उसके द्वारा कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय प्रथम दृष्टया इस राय का है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 21.05.2018 का आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है और रद्द किए जाने योग्य है, अतः

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह इसी के द्वारा रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित परिणामी आदेश दिनांक 10.12.2025 भी इसी के द्वारा रद्द किया जाता है।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील-सदर, जिला वाराणसी को चार माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

7. पंजीयक (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2-कलेक्टर, वाराणसी के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील-सदर, जिला वाराणसी को संप्रेषित करें।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”